

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा (वित्तीय वर्ष 2005-2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : 0771-2446018, 4070232, फैक्स : 0771-4070131



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षा (वित्तीय वर्ष 2005-2006)

छत्तीसगढ़ शासन
निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर
दूरभाष (0771) 2446018, फैक्स (0771) 4070131

क्रमांक—426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए. / 2005 / 1618

रायपुर, दिनांक 03 / 02 / 2007

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, डी०के�०एस० भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:— वित्तीय वर्ष 2005—2006 की वार्षिक तथा लेखा समपरीक्षा प्रतिवेदन।

—0—

महोदय, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 के नियम 22 में यह प्रावधान है, कि आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा—जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 के नियम 23(ग) में यह भी प्रावधान है, कि आयोग के वार्षिक लेखा को चॉट्टू एकांउटेंट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका समपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। नियम 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्त वर्ष की वार्षिक लेखा समपरीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित की जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005—2006 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा समपरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसे आयोग ने उसकी बैठक दिनांक 01—02—2007 को विचार कर इनका अनुमोदन किया।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक और लेखा समपरीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

P.C. Upadhyay
01/02/07

(प्रो० पी०सी० उपाध्याय)

अध्यक्ष

विनियामक आयोग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का

प्रार्थना का वार्षिक प्रतिवेदन

संस्था का नाम विद्यालय के उच्ची शिक्षा कार्यक्रम का

वर्ष 2005-06 (१९०५-१९०६) विवरण

2005-06 का विवरण

"छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005" के नियम 22 के अनुसार आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के क्रिया-कलापों का सही तथा पूर्ण लेखा-जोखा दिया जायेगा एवं जिसे उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(1) विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारीगण

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002, (क्रमांक 2 सन् 2002), यथा संशोधित 17 मार्च, 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियामक आयोग का गठन किया गया था। पुनः जब वर्तमान "छत्तीसगढ़ निजी वेश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्र० 13 सन् 2005)" बना जो छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण), दिनांक 24 अगस्त 2005 के अंक में प्रकाशित हुआ, तो इस अधिनियम में भी धारा 36 (1) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया कि निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिये राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जाएगा जो राज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरणों के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों के तर्कसंगत सेवा-शर्त सुनिश्चित करने के लिये होगा। तदनुसार आयोग तदन्तर कार्यरत है। आयोग में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारीगण हैं।

(1) प्रो० पी०सी० उपाध्याय

— अध्यक्ष

(2) प्रो० एस०एन० अग्रवाल

— पूर्णकालिक सदस्य

(3) डॉ० यू०एस० पाठक

— पूर्णकालिक सदस्य (रोवा समाप्त दिनांक 08/02/2006)

(4) डॉ० आई०आर० खुंटे

— अंशकालिक सदस्य

(5) श्री एल०पी० गोस्वामी

— अंशकालिक सदस्य

(6) प्रो० रमाकांत चौबे

— उप संचालक

(7) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर

— नोडल अधिकारी

(2) विनियामक आयोग की बैठकें —

वर्ष 2005–06 में विनियामक आयोग की कुल 09 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई।

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| (1) 05 / 05 / 2005 | (2) 15 / 07 / 2005 | (3) 02 / 08 / 2005 |
| (4) 01 / 09 / 2005 | (5) 22 / 10 / 2005 | (6) 30 / 11 / 2005 |
| (7) 15 / 02 / 2006 | (8) 09 / 03 / 2006 | (9) 21 / 03 / 2006 |

विचाराधीन अवधि की बैठकों में जिन मुख्य विषयों के राग्वन्ध में विचार किये गये और निर्णय लिये गये वे निम्नलिखित हैं।

- (1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में दिनांक 11 / 02 / 2005 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्वहीन हो गये विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अध्यापन व्यवस्था, सम्बन्धी।
- (2) पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक निकाय जो आगे विश्वविद्यालय नहीं बनाना चाहते थे और विन्यास निधि एवं अतिरिक्त निधि की वापसी चाहते थे, उनके सम्बन्ध में नीति एवं विन्यास निधि की वापसी की प्रक्रिया का निर्धारण।
- (3) पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों की समस्याओं के विषय में जानकारी हेतु सूचना प्रकाशित कराना कि यदि किसी भी प्रकार की राशि विश्वविद्यालय द्वारा देय हो तो इसकी सूचना, आयोग को दी जावे, जिससे कि आयोग द्वारा विन्यास निधि वापस करने के पूर्व यह स्पष्ट हो सके कि प्रायोजक निकायों की किसी प्रकार की देनदारी शेष तो नहीं है।
- (4) आयोग का वार्षिक एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 का अनुमोदन।
- (5) नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये आवेदन पत्र के प्रारूप का निर्धारण।
- (6) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु मूल्यांकन समिति का गठन।
- (7) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निरीक्षण दल का गठन करना।
- (8) निरीक्षण दल द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर राज्य शासन को आशय पत्र (I.O.I.) जारी करने की अनुशंसा का निर्णय इत्यादि।
- (9) विन्यास निधि की वापसी के लिये प्रायोजक निकायों द्वारा दिये गये शपथ पत्रों और आयोग में उपलब्ध तत्सम्बन्धी अभिलेखों पर विचार एवं तदनुसार निर्णय।
- (10) आयोग के कार्य सम्पादन हेतु विभिन्न रामग्रियों के क्रय पर विचार।

(3) न्यायालयीन प्रकरण –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में छात्रों, अभिभावकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा याचिकाएं दायर की गई (अनुसूची क्रमांक 01), जिनमें विनियामक आयोग को भी एक पक्षकार बनाया गया। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण के लिये नियुक्त कौंसिल से सम्पर्क कर जवाबदेही का स्वरूप तैयार कराया गया। आयोग का पक्ष रखते हुए याचिकाओं के प्रतिरक्षण हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही की गई।

(4) आयोग द्वारा सम्पादित मुख्य कार्य –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अनेक दैनिक पत्रों एवं नस्तियों के निस्तारण के साथ प्रमुख कार्य निम्न प्रकार थे।

- (i) पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में प्रयास।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय दिनांक 11/02/2005 के अनुसार सभी निजी विश्वविद्यालय अस्तित्वहीन हो गये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययनरत निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों को राज्य के पराम्परागत विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता दिलाई जावे तथा राज्य के बाहर अध्ययनरत छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिये सम्बन्धित राज्य के विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रयास किया जावे। इस क्रम में महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति द्वारा, जिसमें आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी सम्मिलित हुए, परिनियम 27(ए) तैयार किया गया एवं उसे लागू किया गया। परिनियम 27(ए) के लागू हो जाने के पश्चात पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में माह अप्रैल 24, 25 एवं 26/2005 को विश्वविद्यालय के अधिकारीगण एवं आयोग के पदाधिकारी व अधिकारीगण द्वारा सम्मिलित रहकर पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों को निजी संस्थान के रूप में राज्य के पराम्परागत विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता दिलाने के लिये कार्यवाही की गई जिसका अनुमोदन 27 अप्रैल, 2005 को आयोजित पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में, जिसमें विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी आमंत्रित थे, किया गया। परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों को एक निजी संस्थान के रूप में सम्बद्धता दी गई (अनुसूची क्रमांक 02 एवं 03)। इस क्रम में समय-समय पर विभिन्न छात्रों, छात्र समूहों एवं अभिभावकों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं शंकाओं का आयोग द्वारा यथासंभव निराकरण किया गया एवं उचित परामर्श भी दिया गया।

राज्य के पराम्परागत विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय जिन्हें एक संस्थान के रूप में सम्बद्धता प्रदान की गई उनमें से कई संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम संचालित थे जिनके संचालन के लिये केन्द्रीय अभिकरणों यथा; ए०आई०सी०टी०ई०, ए०सी०टी०ई० इत्यादि से अनुमति आवश्यक थी। अतः आयोग, सम्बन्धित समस्त निजी पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों से सम्पर्क में रहकर उन्हें केन्द्रीय

अभिकरणों से अनुमति प्राप्त करने के लिये एवं विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिये समय-समय पर आगाह करता रहा।

छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के केन्द्रों में अध्ययनरत् छात्रों की समस्याओं के निराकरण के लिये पूर्व में माननीय मुख्यमंत्रीजी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, अपर मुख्य सचिव, ७०८० शासन द्वारा लिखे गये पत्रों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले एवं कई पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों की समस्याओं का निराकरण भी हुआ। आयोग के द्वारा भी सभी पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि वे उच्चतम् न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित केन्द्रों के छात्रों की समस्याओं का निराकरण करें।

(ii) अधिनियम एवं नियम 2005 का निर्माण –

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 यथा संशोधित १७ मार्च २००४ की धारा ५ एवं ६ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य में संचालित सभी निजी विश्वविद्यालय अस्तित्वहीन हो गये। अतः आयोग द्वारा एक नये अधिनियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005" बनाने में राज्य शासन के सहयोग से सार्थक पहल की गई। यह अधिनियम माह जुलाई, २००५ के सत्र में विधानसभा में विधिवत् पारित होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक २४ अगस्त, २००५ के अंक में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार अधिनियम 2005, अस्तित्व में आया। अधिनियम 2005 में निहित प्रावधान अनुसार आयोग द्वारा राज्य शासन के सहयोग से "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005" तैयार किया गया जो विधानसभा में पारित होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक १६ दिसम्बर, २००५ के अंक में प्रकाशित होकर अस्तित्व में आया। अधिनियम एवं नियम 2005 के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात् राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ।

(iii) निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना –

अधिनियम एवं नियम 2005 के अस्तित्व में आने के पश्चात् स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के माध्यम से जन-साधारण के लिये आयोग द्वारा यह सूचना जारी की गई कि छत्तीसगढ़ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसके लिये इच्छुक प्रायोजक निकाय, आवेदन पत्र का प्रारूप विनियामक आयोग कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। कुल २८ प्रायोजक निकायों द्वारा (अनुसूची क्रमांक ०४) दिनांक ३१ मार्च, २००६ की अवधि तक विनियामक आयोग कार्यालय से, अधिनियम एवं नियम 2005 (आवेदन पत्र का प्रारूप भी सम्मिलित था) प्राप्त किया गया।

आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले प्रायोजक निकायों में से कुल १७ प्रायोजक निकायों द्वारा (अनुसूची क्रमांक ०५) परियोजना प्रतिवेदन एवं आवेदन पत्र, विनियामक आयोग कार्यालय में प्रस्तृत किया गया।

विनियामक आयोग कार्यालय में प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन का अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण किया गया एवं कमियों (Short Comings) की पूर्ति प्रायोजक निकायों से कराई गई। साथ ही परियोजना प्रतिवेदन के मूल्यांकन के लिये विनियामक आयोग द्वारा उच्च शिक्षा की विभिन्न विधाओं में दक्ष एवं छत्तीसगढ़ में दीर्घ अनुभवी शिक्षाविदों को समिलित करते हुए एक मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) का गठन किया गया जिसका अनुमोदन माननीय उच्च शिक्षामंत्रीजी द्वारा किया गया। समय-समय पर आयोग द्वारा मूल्यांकन समिति की बैठकें आयोजित की गई। प्राप्त परियोजना प्रतिवेदनों का परीक्षण एवं मूल्यांकन करते हुए मूल्यांकन समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन/अनुशंसा, आयोग को प्रस्तुत किया गया। 'मूल्यांकन समिति' का गठन निम्नानुसार रहा।

- | | |
|---|---|
| <p>(1) प्रो० एस०एन० अग्रवाल
सदस्य (अकादमिक),
विनियामक आयोग</p> <p>(2) डॉ० अशोक पारख
प्राचार्य,
दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)</p> <p>(3) डॉ० ए०एस० झाडगांवकर
प्राचार्य (सेवानिवृत्त),
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
रायपुर (छ०ग०)</p> <p>(4) डॉ० एस०के० वर्मा
प्राचार्य,
शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)</p> <p>(5) डॉ० ए०के० पति
प्राध्यापक, बॉयो साईस,
पं० रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ०ग०)</p> <p>(6) प्रो० आर०के० चौबे
उप-संचालक,
विनियामक आयोग</p> <p>(7) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर
नोडल अधिकारी,
विनियामक आयोग</p> | <p>— अध्यक्ष</p> <p>— सदस्य</p> <p>— सदस्य</p> <p>— सदस्य</p> <p>— सदस्य</p> <p>— संयोजक</p> <p>— सह संयोजक</p> |
|---|---|

आयोग ने मूल्यांकन समिति की बैठकें 06/02/2006, 08/02/2006, 14/02/2006, 07/03/2006 एवं 28/03/2006 तिथियों में आयोजित की।

मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन/अनुशंसा को विनियामक आयोग की पूर्ण बैठक में निचारार्थ रखा गया। आयोग ने उन पर विचार कर प्रथम चरण में 08 प्रायोजक निकायों (अनुसूची क्रमांक 06) को आशय पत्र (L.O.I.) जारी करने हेतु राज्य शासन को अनुशंसा करने का निर्णय लिया। आयोग के निर्णयानुसार दिनांक 15/02/2006 को राज्य शासन को पत्र प्रेषित किया गया।

आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा 08 प्रायोजक निकायों को दिनांक 24/02/2006 को आशय पत्र (L.O.I.) जारी किया गया। इन 08 प्रायोजक निकायों में से मात्र निम्न 03 प्रायोजक निकायों ने अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार आशय पत्र (L.O.I.) के साथ दी गई शर्तों का पालन प्रतिवेदन, विनियामक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया।

स्रो क्र०	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	स्थापना का क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र
1.	श्री भगवान महावीर जैन फाउंडेशन एण्ड कल्यारल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छ0ग0)	मैट्स विडिओ, ग्राम गुल्लु, तहसील आरग, जिला रायपुर (छ0ग0)	सामान्य क्षेत्र।
2.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलाजी (आईसेक्ट), रायपुर (छ0ग0)	डॉ. सी.वी. रमन विडिओ, विकासखंड कोटा, करगी रोड, जिला विलासपुर (छ0ग0)	अनुसूचित क्षेत्र
3.	श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति, एच-14, अनुपम नगर, रायपुर (छ0ग0)	गुरुकुल विडिओ, गरियावंद, जिला रायपुर (छ0ग0)	अनुसूचित क्षेत्र

प्राप्त पालन प्रतिवेदन के भौतिक सत्यापन एवं प्रस्तावित मुख्य परिसर में उपलब्ध सुविधाओं के आंकलन एवं निरीक्षण के लिये आयोग द्वारा विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया जिसके सदस्यों की सूची निम्नानुसार है।

(1) प्रो० एस०एन० अग्रवाल
सदस्य (अकादमिक),
विनियामक आयोग

अध्यक्ष

(2) प्रो० डी०एस० बल्ल
संचालक,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नॉलाजी (NIT), रायपुर (छ0ग0)

सदस्य

- (3) डॉ आरोपी दास — सदस्य
प्रोफे एण्ड हेड-डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट,
पंज रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छोगो)
- (4) प्रोफे आरोके चौबे — सदस्य
प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) एवं
उप-संचालक, विनियामक आयोग
- (5) प्रोफे बीओआरो चन्द्राकर — सदस्य
प्राध्यापक (भूगोल) एवं
नोडल अधिकारी, विनियामक आयोग

निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण निम्नांकित तिथियों में किया गया।

स्रोत को	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	विनियामक आयोग द्वारा किये गये निरीक्षण का दिनांक
1.	श्री भगवान महावीर जैन फाऊडेशन एण्ड कल्वरल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छोगो)	मैट्स विविहो, ग्राम गुल्लु, तहसील आंरंग, जिला रायपुर (छोगो)	17/03/06
2.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलाजी (आईसेक्ट), रायपुर (छोगो)	डॉ. री.झी. रमन विविहो, विकासखंड कोटा, करगी रोड, जिला विलासपुर (छोगो)	20/03/06
3.	श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति, एच-14, अनुपम नगर, रायपुर (छोगो)	गुरुकुल विविहो, गरियाबंद, जिला रायपुर (छोगो)	18/03/2006

उपरोक्त निरीक्षण दल से प्राप्त प्रतिवेदनों को आयोग की बैठकों में विचारार्थ रखा गया। आयोग ने अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्न दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये राज्य शासन को अनुशंसा करने का निर्णय किया। गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना को कुछ कमी पाये जाने के कारण लम्बित रखने का निर्णय लिया गया।

स्रोत को	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता	स्थापना का क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र
1.	श्री भगवान महावीर जैन फाऊडेशन एण्ड कल्वरल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छोगो)	मैट्स विविहो, ग्राम गुल्लु, तहसील आंरंग, जिला रायपुर (छोगो)	सामान्य क्षेत्र।
2.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलाजी (आईसेक्ट), रायपुर (छोगो)	डॉ. री.झी. रमन विविहो, विकासखंड कोटा, करगी रोड, जिला विलासपुर (छोगो)	अनुसूचित क्षेत्र

(iv) पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों को विन्यास निधि की वापसी –

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 फरवरी, 2005 के निर्णय के पश्चात् अनेक पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक निकायों ने सम्भवतः भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना न करने का निर्णय लेकर अपनी विन्यास निधि की वापसी के लिये आवेदन प्रस्तुत किये। वर्ष 2005–06 में पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों (विन्यास निधि की वापसी) का निराकरण विनियामक आयोग द्वारा निर्णीत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया। समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने वाले 15 प्रायोजक निकायों को 22 करोड़ रु. विन्यास निधि की राशि वापस की गई जिसकी सूची निम्नानुसार है।

सं. क्र.	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम	वापिस की गई विन्यास निधि की राशि (रु. करोड़ में)
1.	एमटी वि.वि., रायपुर	2,00,00,000.00
2.	अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी वि.वि. रायपुर	2,00,00,000.00
3.	एप्टेक वि.वि. रायपुर	2,00,00,000.00
4.	ऐशिया पैसिफिक, इन्टरनेशनल वि.वि. रायपुर	2,00,00,000.00
5.	दहाड़ वि.वि. (प्रस्तावित नया वि.वि.)	1,00,00,000.00
6.	डॉ. एस.जी. रेण्टी वि.वि. (प्रस्तावित नया वि.वि.)	1,00,00,000.00
7.	ई. आई.आई.एल.एम. वि.वि., रायपुर	2,00,00,000.00
8.	आई.आई.ए.एस. इन्टरनेशनल वि.वि. रायपुर	1,00,00,000.00
9.	आई.आई.एल.एम. वि.वि., रायपुर	1,00,00,000.00
10.	जयपुरिया यूनिवर्सिटी, रायपुर	1,00,00,000.00
11.	लार्ड्स वि.वि., रायपुर	1,00,00,000.00
12.	यूनिवर्सिटी ऑफ, मीडिया आर्ट	2,00,00,000.00
13.	मेवाड़ वि.वि. रायपुर	1,00,00,000.00
14.	नेटवर्कड वि.वि. भिलाई	1,00,00,000.00
15.	स्टारेक्स यूनिवर्सिटी, रायपुर	2,00,00,000.00
	कुल योग	22,00,00,000.00

(v) पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित शिकायतों पर कार्यवाही –

कई व्यक्ति विशेष एवं off campus centres के संचालकों द्वारा कुछ पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की कुछ शिकायतें सीधे एवं कुछ महामहिम राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से आयोग के पास आती रही हैं। उन सभी के विषय में सम्बन्धित प्रायोजक निकायों से लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से शिकायतों के विषय में सम्बन्धित लोगों को समय-समय पर पत्र द्वारा सूचित करना एवं सलाह देने का कार्य निरन्तर चलता रहा है। अभी भी इस प्रकार की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। वस्तुतः पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों की समस्याओं से सम्बन्धित व्यक्तियों/प्रायोजक निकायों से पत्राचार एवं उन समस्याओं का सम्भव समाधान आयोग का एक अति प्रमुख कार्य रहा है।

(vi) लेखाओं पर प्रतिवेदन

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा चाट्टू एकाउंटेंट से कराई गई जो इस प्रतिवेदन के साथ संलग्नक-1 पर है।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,
शांति नगर, रायपुर – 492 007
रायपुर, दिनांक 01 फरवरी 2007

अनुसूची क्रमांक—1

माननीय उच्च न्यायालय / उपभोक्ता फोरम में लंबित प्रकरण

सं. क्र.	रिट पेटिशन/ कम्प्लेन नं.	उच्च न्यायालय/आयोग का नाम	रिमार्क
1.	डब्ल्यू. पी. (सी.) क्र. 1899/2006	दिल्ली उच्च न्यायालय	शिर्ली जोश विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य
2.	ओ. पी. क्र. 109/2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली	स्मृति एवं अन्य विरुद्ध चेयरमैन, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर
3.	ओ. पी. क्र. 110/2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली	अरुणा शर्मा एवं अन्य विरुद्ध चेयरमैन, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर
4.	प्रकरण क्र. 332/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर	पुलक चांडक विरुद्ध मैट्स विश्वविद्यालय एवं अन्य – 2
4.	प्रकरण क्र. 340/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर	दिनेश विश्वकर्मा विरुद्ध आई०य००एच०टी० एवं अन्य – 2
5.	प्रकरण क्र. 341/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर	उमेश तिलहारे विरुद्ध आई०य००एच०टी० एवं अन्य – 2
5.	प्रकरण क्र. 342/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर	कु. रशिम चन्द्राकर विरुद्ध आई०य००एव०टी० एवं अन्य – 2
6.	प्रकरण क्र. 343/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, रायपुर	कु. रशिम साहू विरुद्ध आई०य००एच०टी० एवं अन्य – 2
7.	प्रकरण क्र. 396/2006	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, संगრुर (पंजाब)	गुरु राम दास कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विरुद्ध श्री रावतपुरा सरकार इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी और अन्य

अनुसूची क्रमांक-2

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से परिनियम 27(ए) के तहत सम्बद्धता प्राप्त
अंतरिम संस्थान (पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय) के सम्बन्ध में जानकारी

क्र.	पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय अभिकरणों से मान्यता आवश्यक है अथवा नहीं	छ.ग. राज्य में पंजीकृत छात्र संख्या
1.	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, रायपुर	आवश्यक है/प्राप्त आवश्यक है/अप्राप्त आवश्यक नहीं है	326 201 कुल 527
2.	जी. एच. रायसोनी नेशनल कॉलेज, रायपुर	आवश्यक है/प्राप्त आवश्यक है/अप्राप्त आवश्यक नहीं है	555 99 287 कुल 941
3.	डॉ० सी०व्ही० रमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नॉलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, रायपुर	आवश्यक नहीं है	25 कुल 25
4.	मैट्स, मैट्स टॉवर, पंडरी, रायपुर	आवश्यक नहीं है आवश्यक है/अप्राप्त	665 108 कुल 773
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी एण्ड साइंसेस, रायपुर	आवश्यक है/प्राप्त आवश्यक है/अप्राप्त आवश्यक नहीं है	40 219 203 कुल 462
6.	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, रायपुर	आवश्यक नहीं है	24 कुल 24
7.	कावा ग्लोबल इंस्टीट्यूट, रायपुर	आवश्यक है/प्राप्त आवश्यक है/अप्राप्त आवश्यक नहीं है	180 213 1019
8.	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलॉजी, रायपुर	आवश्यक नहीं है आवश्यक है/अप्राप्त	18 62 कुल 80
9.	रायपुर इंस्टीट्यूट फार ह्यूमन ट्रांसफारमेशन, रायपुर	आवश्यक नहीं है आवश्यक है/अप्राप्त	4 61 कुल 65

१०. एन.आई.आई.एल.एम., रायपुर		आवश्यक नहीं है	2
		आवश्यक है / अप्राप्त	32
		कुल	34
११. विश्वभारती इस्टीट्यूट, रायपुर		आवश्यक नहीं है	60
		कुल	60
१२. स्वामी विवेकानन्द इस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी, रायपुर		आवश्यक नहीं है	2
		आवश्यक है / अप्राप्त	51
		कुल	53
१३. राय फाउंडेशन कॉलेज, रायपुर		आवश्यक नहीं है	12
१४. बी.एल.एस. इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, मैनेजमेंट, रायपुर		आवश्यक है / अप्राप्त	9
		कुल	9
		महायोग	3053

७	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
८	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
९	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१०	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
११	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१२	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१३	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१४	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१५	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१६	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१७	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)
१८	२५.१२.०५	मिस्ट्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, रायपुर (३०१०)

अनुसूची क्रमांक-3

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से परिनियम 27-ए के तहत सम्बद्धता प्राप्त अंतरिम संस्थान (पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय) के सम्बन्ध में जानकारी

क्रं.	पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय अभिकरणों से मान्यता आवश्यक है अथवा नहीं	छ.ग. राज्य में पंजीकृत छात्र संख्या
1.	श्री रावतपुरा सरकार इंटरनेशनल विडिओ, रायपुर	आवश्यक नहीं है	124
		कुल	124
2.	स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलॉजी, रायपुर	आवश्यक नहीं है	51
		कुल	51
3.	लूथरन विडिओ, रायपुर	आवश्यक नहीं है	98
		कुल	98
4.	डॉ सी०क्षी० रमन विडिओ, रायपुर	उपलब्ध नहीं (आवेदक संस्था ने आवश्यक नहीं बताया है।)	6795 (दूरवर्ती शिक्षा पद्धति के तहत)
		कुल	6795
5.	छत्तीसगढ़ विडिओ, रायपुर	उपलब्ध नहीं (आवेदक संस्था ने आवश्यक नहीं बताया है।)	364 (दूरवर्ती शिक्षा पद्धति के तहत)
		कुल	364
		महायोग	7432

अनुसूची क्रमांक—4

निम्नांकित सूची अनुसार प्रायोजक निकायों द्वारा आवेदन पत्र
(अधिनियम 2005 एवं नियम 2005) प्राप्त किये गये

संख्या क्रमांक	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता
01	02	03
1.	24.12.05	दि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन सोसायटी, व्ही.आई.पी.रोड, माना रायपुर (छ0ग0)
2.	24.12.05	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलाजी (आईसेक्ट), रायपुर (छ0ग0)
3.	24.12.05	अंगूरी देवी मामन चन्द ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, बी-3, गुलमोहर वाटिका, न्यू पुरैना, रिंग रोड, रायपुर (छ0ग0)
4.	24.12.05	श्री भगवान महार्वीर जैन फाउंडेशन एण्ड कल्याणल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छ0ग0)
5.	24.12.05	श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति, एच-14, अनुपम नगर, रायपुर (छ0ग0)
6.	26.12.05	श्री रावतपुरा लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर (छ0ग0)
7.	26.12.05	दहाड़ विद्यावर्धिनि एजुकेशनल सोसायटी, क्यू-9, ग्रीन वेली, रिंग रोड, छत्तीसगढ़ होटल के पीछे, रायपुर (छ0ग0)
8.	26.12.05	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी सोसायटी, ग्रीन पार्क कैम्पस, छेरी खेडी, मंदिर हसौद रोड, रायपुर (छ0ग0)
9.	26.12.05	ली मैग्नस सोसायटी, भगत सिंह भवन, ए/24, सेक्टर-1, अजवानी आई हॉस्पिटल के पास, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)
10.	26.12.05	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चॉटर्ड फॉइनेशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 15, जलाशय मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
11	26.12.05	श्रीमती दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति, रोजगार कार्यालय के पास, पंडरी रायपुर (छ0ग0)
12.	26.12.05	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, 9, फरिशता काम्पलेक्स जी.ई.रोड, रायपुर (छ0ग0)
13.	26.12.05	श्री जी.एच. रायसोनी एजुकेशनल फाउंडेशन, मठपुरैना, बोरिया रोड, रायपुर (छ0ग0)
14.	26.12.05	बी0एल0एस0 एजुकेशन सोसायटी, अंवति विहार, रायपुर (छ0ग0)
15.	26.12.05	सेंट जेवियर्स आर्य भट्ट एजुकेशन सोसायटी, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर (छ0ग0)
16.	27.12.05	सोसायटी फॉर हयूमन ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन काम्पलेक्स, गायडवरी, छूरा गरियाबंद, जिला—रायपुर (छ0ग0) (प्रस्ताव निरस्त)
17.	29.12.05	मेवाड़ एजुकेशन सोसायटी, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)

18.	29.12.05	ऑल हॉयर एजुकेशन अपलिफ्टमेंट सोसायटी, प्रथम तल, श्री विनायक ट्रेडर्स भवन, गुडियारी, रायपुर (छ0ग0)
19.	29.12.05	इस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एण्ड हाईजीन सोसायटी, व्ही.आई.पी. कलब के पास खाम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)
20.	02.01.06	नेशनल लुथरन हेल्थ एण्ड मेडिकल बोर्ड, मिशन कम्पाउंड, बैकुंठपुर, पिन कोड-497335, जिला-कोरिया (छ0ग0)
21.	04.01.06	भगवान बाला साई एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, अनिल भवन फाफाडीह, रायपुर (छ0ग0)
22.	09.01.06	रितनंद बालवेद एजुकेशन सोसायटी, रायपुर (छ0ग0)
23.	08.02.06	एच०क० कल्युरी एजुकेशन ट्रस्ट, चौकसे इंजीनियरिंग कालेज, मस्तुरी रोड लाल खदान, वीजेपी कार्यालय के पास कखला, रोड, बिलासपुर (छ0ग0)
24.	13.02.06	इंडस्वैली एजुकेशन सोसायटी, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)
25.	16.02.06	विश्वभारती एजुकेशनल ड्वलपमेंट सोसायटी चौबे कालोनी, रायपुर (छ0ग0)
26.	22.02.06	लोक कल्याण सामाजिक संस्थान, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर (छ0ग0)
27.	28.02.06	फाउंडेशन फार सोसियल ट्रांसफारमेशन थ्रू एजुकेशन एण्ड रिसर्च (फोस्टर), सी-9-12, प्रथम तल एकात्म परिसर, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ0ग0)
28.	09.03.06	एकेडमिक कोआडिनेटर कमिष्युल यूनिवर्सिटी, रायपुर (छ0ग0)

(०३०४) श्रावण चैत्र के छठे हिंदू मित्र

(०८०४) श्रावण चौक इलाहाबाद

(0404) ପ୍ରମାଣ ସାଫ୍ ଟକାଇ ଦ୍ୱାରା କେ ଛାପିଯାଇଛି

(प्रष्ठ) प्राणाय निर्णायक विजि ग्राम डाक्टरी, २१

(००४) शुभम्

(01-08) УПВ19

(01408) ४५५३५

ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ

अनुसूची क्रमांक-5

८०\५०\६१

हिंदू इग्नोरेशन

विश्वविद्यालय

५३० अप्रैल २०२४

निम्नलिखित प्रायोजक निकायों द्वारा परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये

संख्या	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम, पूर्ण पता	स्थापना का क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र	आवेदन पत्र एवं परियोजना प्रतिवेदन विनियामक आयोग कार्यालय में प्रस्तुति की तिथि
०१	०२			
1.	श्री भगवान महावीर जैन फाउंडेशन एण्ड कल्यारल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छोगो)	मैट्स विंविं०, ग्राम गुल्लु, तहसील आरंग, जिला रायपुर	सामान्य क्षेत्र	२८/१२/०५
2.	भगवान बाला साई एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, अनिल भवन फाफाडीह, रायपुर	कलिंगा विंविं०, कोटनी, पलौद जिला-रायपुर	सामान्य क्षेत्र	०६/०१/०६
3.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन सोसायटी, व्ही. आई.पी.रोड, माना, रायपुर, जिला रायपुर	राय विंविं०, व्ही.आई.पी.रोड, माना, रायपुर, जिला रायपुर	सामान्य क्षेत्र	१२/०१/०६
4.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी (आईसेक्ट), रायपुर	डॉ. सी.व्ही. रमन विंविं०, विकासखंड कोटा, करगी रोड, जिला बिलासपुर	अनुसूचित क्षेत्र	१८/०१/०६
5.	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, ९, फरिशता काम्पलैक्स जी.ई.रोड, रायपुर (छोगो)	मोदी इन्टरनेशनल विंविं०, ग्राम महमरा, पोस्ट रसमडा, जिला दुर्ग	सामान्य क्षेत्र	१८/०१/०६
6.	श्री जी.एच. रायसोनी एजुकेशनल फाउंडेशन, मठपुरेना, बोरिया रोड, रायपुर (छोगो)	जी०एच० रायसोनी इन्डिया इन्टरनेशनल विंविं०, ब्लॉक अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनादगांव	अनुसूचित क्षेत्र	२३/०१/०६
7.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चॉटर्ड फॉइनेशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, १५, जलाशय मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चॉटर्ड फॉइनेशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्कल अहिवारा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग	सामान्य क्षेत्र	३०/०१/०६
8.	ली मैन्स सोसायटी, भगत सिंह भवन, ए/२४, सेक्टर-१, अजवानी आई हॉस्पिटल के पास, शंकर नगर, रायपुर (छोगो)	ली मैन्स विंविं०, ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्कल अहिवारा कुम्हारी, तहसील धमधा, जिला दुर्ग	सामान्य क्षेत्र	३०/०१/०६
9.	श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति, एच-१४, अनुपम नगर, रायपुर (छोगो)	गुरुकुल विंविं०, गरियाबंद, जिला रायपुर	अनुसूचित क्षेत्र	०३/०२/०६
10.	सोसायटी फॉर ह्यूमन ट्रांसफॉरमेशन एण्ड रिसर्च, ट्रांसफॉरमेशन काम्पलैक्स, गायडवरी, छूरा गरियाबंद, जिला-रायपुर (छोगो)	आई० यू० एच० टी० विं० विं० ट्रांसफॉरमेशन काम्पलैक्स, गायडवरी, छूरा गरियाबंद, जिला-रायपुर	अनुसूचित क्षेत्र	१०/०२/०६

11.	सेट जेवियर्स आर्य भट्ट एजुकेशन सोसायटी, विधानसभा रोड, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर	आचार्य आर्य भट्ट वि०वि०, ग्राम नरदहा, तहसील आंरग, जिला—रायपुर	सामान्य क्षेत्र	13 / 02 / 06
12.	श्रीमती दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति, रोजगार कार्यालय के पास, पंडरी रायपुर (छ०ग०)	य०टी०एम० वि०वि०, देवभोग मेन रोड, गरियाबंद तहसील, विन्द्रानवागढ़ जिला—रायपुर	अनुसूचित क्षेत्र	13 / 02 / 06
13.	अगूरी देवी मामन चन्द ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, बी-३, गुलमोहर वाटिका, न्यू पुरेना, रिंग रोड, रायपुर (छ०ग०)	छत्तीसगढ़ वि०वि०, दल्लीराजहरा, विकासखंड डॉडी, तहसील, बालौद, जिला दुर्ग	अनुसूचित क्षेत्र	21 / 02 / 06
14.	दहाड़ विद्यावर्धिनि एजुकेशनल सोसायटी, क्यू-९, ग्रीन वेली, रिंग रोड, छत्तीसगढ़ होटल के पीछे, रायपुर (छ०ग०)	एलेन्जो वि०वि०, विद्या विहार, कोरबा, जिला कोरबा	अनुसूचित क्षेत्र	22 / 02 / 06
15.	आई.टी.एम. यूनिवर्सिटी सोसायटी, ग्रीन पार्क कैम्पस, छेरीखेडी, मंदिर हसौद रोड, रायपुर (छ०ग०)	आई.टी.एम. वि०वि०, ग्राम सेध, मंदिर हसौद, जिला रायपुर	सामान्य क्षेत्र	23 / 02 / 06
16.	ऑल हॉयर एजुकेशन अपलिफ्टमेंट सोसायटी, प्रथम तल, श्री विनायक ट्रेडर्स भवन, गुडियारी, रायपुर (छ०ग०)	ए०सी०एन० इंटरनेशनल वि०वि०, विकासखंड गरियाबंद, तहसील – विन्द्रानवागढ़ जिला – रायपुर	अनुसूचित क्षेत्र	24 / 02 / 06
17.	नेशनल लुथरन हेल्थ एण्ड मेडिकल बोर्ड, चेन्नई (टी.एन.), मिशन चर्च कम्पाउंड, बैकुठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.) पिनकोड–497335	लुथरन यूनिवर्सिटी, मिशन चर्च कम्पाउंड, बैकुठपुर, जिला कोरिया पिनकोड–497335	अनुसूचित क्षेत्र	16 / 03 / 06

अनुसूची क्रमांक-6

प्रायोजक निकायों की सूची जिन्हें आशय पत्र (L.O.I.) जारी करने की अनुशंसा की गई

स0 क0	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता /प्रस्तावित विविवि का नाम, पूर्ण पता एवं स्थापना का क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित क्षेत्र	विनियामक आयोग द्वारा आशय पत्र जारी करने की अनुशंसा की तिथि	राज्य शासन द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी करने की तिथि
01	02	03	04
1.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन सोसायटी, व्ही.आई.पी.रोड, माना रायपुर / राय विविवि, व्ही.आई.पी.रोड, माना, रायपुर / जिला रायपुर / सामान्य क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
2.	श्री भगवान महावीर जैन फाउंडेशन एण्ड कल्यरल सोसायटी, मैट्स टॉवर, पगारिया काम्पलैक्स, पंडरी, रायपुर (छ0ग0) / मैट्स विविवि, ग्राम गुल्लु, तहसील आंरग, जिला रायपुर (छ0ग0) / सामान्य क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
3.	ऑल इंडिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलाजी (आईसेक्ट), रायपुर / डॉ. सी.व्ही. रमन विविवि, विकासखंड कोटा, करगी रोड, ज़िला बिलासुपर / अनुसूचित क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
4.	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, 9, फरिशता काम्पलेक्स जी.ई.रोड, रायपुर (छ0ग0) / मोदी इन्टरनेशनल विविवि, ग्राम महमरा, पोर्ट रसमडा, जिला -दुर्ग (छ0ग0) / सामान्य क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
5.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चॉटर्ड फॉइनेशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया सोसायटी, 15, जलाशय मार्ग, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) / दि इंस्टीट्यूट ऑफ चॉटर्ड फॉइनेशियल एनॉलिस्ट ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्कल अहिवारा, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग / सामान्य क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
6.	भगवान बाला साई एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल सोसायटी, अनिल भवन फाफाडीह, रायपुर (छ0ग0) / कलिंगा विविवि, कोटनी, पलौद जिला-रायपुर / सामान्य क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
7.	श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति, एच-14, अनुपम नगर, रायपुर (छ0ग0) / गुरुकुल विविवि, गरियाबंद, जिला रायपुर (छ0ग0) / अनुसूचित क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06
8.	श्री जी.एच. रायसोनी एजुकेशनल फाउंडेशन, मठपुरैना, बोरिया रोड, रायपुर (छ0ग0) / जी०एच० रायसोनी इन्टरनेशनल विविवि, ब्लॉक अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनादगांव / अनुसूचित क्षेत्र।	15/02/06	24/02/06

Balaji Deepak & Associates

Chartered Accountants

179001, First Floor, Dr. D. Y. Patil Building,

Opp. Dr. Verma's Chawl, RAIPUR [Chhattisgarh] 492001

Mobile: 9499236000, Fax: 0771-2220088

E-mail: info@balajideepak.com, website: www.balajideepak.com

STATUTORY AUDITORS' REPORT

C/No.-105, Sector 14, Noida, Uttar Pradesh, India - 201301
29/775, Plot No. 5, Block No. 3, Dera, Lohia Housing Society, Nager

Haldia Pura Chowk, Raipur (Chhattisgarh)

STATUTORY AUDIT REPORT

Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (hereinafter referred to as the "Ayog") is a registered Society registered under the Registration of Societies Act, 1958, vide Registration No. 2752. It is present to regulate the affairs of the Ayog and to promote the welfare of the students of the Ayog through the Forensic Faculty of the Ayog. The audit of the accounts of the Ayog may be conducted at such times and in such forms as may be directed by the Board of Governors of the Ayog or by a Committee to be constituted by the Board of Governors.

OF
CHHATTISGARH NIJI KSHETRA
VISHWAVIDYALA VINAYAMAK
AYOG

We have examined the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG (AYOG) as at 31st March 2006 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on 31st March 2006. We accept full responsibility of the financial statements of the Ayog for the above mentioned period of time and events, based on our audit.

(i) We have conducted our audit in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

(ii) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.



Batra Deepak & Associates

Chartered Accountants

17/901, First Floor, Guru Gobind Nagar,
Opp. Dr. Verma's Clinic, RAIPUR [Chhattisgarh] 492001

Phone: 0771-2424657, 2423757, 4055588 Fax: 0771-2426091
E-mail: deepakca@airtelbroadband.in; deepakca@hotmail.com

STATUTORY AUDITORS' REPORT

To,
Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),
29/776, Plot No. 5, Block No. 3, Opp. Ram Mandir, Shanti Nagar
Madhu Pillai Chowk, Raipur (Chhattisgarh)

Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog) has been established on 17.03.2004 under Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002. It is meant to regulate the private universities in the State of Chhattisgarh. As per rule 33 of the rules made under the aforesaid Act, the accounts of Ayog are to be maintained in such books and in such format as may be prescribed by the Ayog. The audit of these accounts is to be done by a Chartered Accountant.

We have been appointed as Auditor of the Ayog for accounting year 2005-06. We have carried out the audit of books of account. Our report is as under:

We have audited the attached Balance Sheet of CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG) as at 31st March 2006 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.

- (a) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

[SHIKHA CHAUDHARY]
PARTNER
MD. NO: 189



- (c) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (d) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (e) During the year grant in aid of Rs. 30.00 lacs received from Govt. of Chhattisgarh for establishment expenses has been treated as capital receipts. We have been informed that efforts are being made to change the classification of grant received.
- (f) During the year interest credited as per TDS certificate of State Bank of India of Rs. 1,19,66,176/- as against this interest income credited to Income & Expenditure Account from State Bank of India is Rs. 1,18,41,575/-. The difference of Rs. 124601/- is under reconciliation.
- (g) Due to cash method of accounting interest accrued but not received has not received has not been accounted for, details are given in notes on accounts. During audit it is observed that in the case of UTI Bank TDS Certificate not received but amount of interest has been received , the entries for only net interest has been passed.
- (h) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, but subject to notes on accounts the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:
- (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2006, and
- (ii) in the case of Income and Expenditure Account, of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For, **BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**
CHARTERED ACCOUNTANTS



[SHIKHA CHAUDHARY]

PARTNER

M.NO. 402188

PLACE: RAIPUR

DATE : 19/10/2006

CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2006

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.06	AMOUNT (Rs.) 31.03.05
<u>SOURCES OF FUNDS:</u>			
<u>CAPITAL FUND:</u>			
GOVERNMENT GRANT	"A"	4000000.00	1000000.00
SURPLUS		20810141.95	4987711.85
T-O-T-A-L :-		24810141.95	5987711.85
<u>APPLICATION OF FUNDS:</u>			
<u>FIXED ASSETS:</u>	"B"		
OPENING W.D.V.		272167.00	0.00
ADD: ADDITIONS		582888.00	353437.00
LESS: DEPRECIATION		166453.00	81270.00
CLOSING W.D.V.		688602.00	272167.00
<u>CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:</u>			
CASH & BANK BALANCES	"C"	57041257.95	23900325.85
INVESTMENTS IN FDR(s)	"D"	#REF!	570000000.00
DEPOSITS & ADVANCES	"E"	3874566.00	1900500.00
		#REF!	595800825.85
<u>LESS: CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS:</u>	"F"		
NET CURRENT ASSETS		371392284.00	590085281.00
T-O-T-A-L :-		#REF!	5715544.85
		#REF!	5987711.85
		#REF!	0.00
<u>NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT</u>	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI KSHETRA
 VINYAMAK AYOG

P.C. Upadhyay
01/07/07

[CHAIRMAN]

M. Manjrekar
1.2.07

[MEMBER ADMIN.]

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS



[SHIKHA CHAUDHARY]


PARTNER

M. NO. 402188

DATE :

PLACE : RAIPUR

DATE :
 PLACE: RAIPUR



CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2006

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
		3/31/06	3/31/05
I-N-C-O-M-E :			
SALE OF FORMS & MISCELLANEOUS INCOME		104550.00	28850.00
CONFERENCE FEES RECEIVED		0.00	76000.00
INTEREST ON TDR/FDR (FY 2005-06)		15298138.00	0.00
INTEREST ON TDR/FDR (FY 2004-05)		7667110.00	6323535.00
INTEREST FROM SAVING ACCOUNT		885800.00	217197.79
T-O-T-A-L (A)		23955598.00	6645582.79
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
PETTY CASH EXPENSES (TILL MONEY)		74798.40	55538.00
STAFF SALARY		1412892.00	438079.64
T.A. & D.A. ALLOWANCE		174519.00	210453.50
PROFESSIONAL EXPENSES		132854.00	592230.00
AUDIT FEES		16530.00	0.00
TELEPHONE EXPENSES		75740.00	21367.00
OFFICE RENT EXPENSES		215843.00	105000.00
ELECTRICITY CHARGES		18992.00	2086.00
CONFERENCE/SEMINAR EXPENSES		12250.00	127645.80
PUBLIC RELATION EXPENSES		0.00	1500.00
TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES		412386.00	22701.00
DEPRECIATION		166453.00	81270.00
INTEREST PAID ON ENDOWMENT FUND		5272576.00	0.00
BANK CHARGES		51338.00	0.00
ADVERTISEMENT EXPENSES		8700.00	0.00
POSTAGE & TELEGRAM		3265.00	0.00
PRINTING & STATIONERY		50844.50	0.00
SITTING FEES		24500.00	0.00
REPAIRS & MAINTENANCE		8687.00	0.00
T-O-T-A-L (B)		8133167.90	1657870.94
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A - B)		15822430.10	4987711.85
NET SURPLUS CARRIED TO BALANCE SHEET		15822430.10	4987711.85
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI KSHETRA
 VINYAMAK AYOG

P.C. Upadhyay
07/07/07
 [CHAIRMAN]

M. Sonwane
1-2-07
 [MEMBER ADMIN.]

DATE :
 PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS

Shikha Chaudhary
07/07/07
 [SHIKHA CHAUDHARY]
 PARTNER
 M. NO. 402188
 DATE :
 PLACE : RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 20

PARTICULAR	AS ON 31.03.2006	AS ON 31.03.2005
SCHEDULE - "A"		
RESERVES & SURLUS:		
Opening Balance	4987711.85	0.00
Add : Excess of Income Over Expenditure	15822430.10	4987711.85
T-O-T-A-L :-	20810141.95	4987711.85

SCHEDULE - C
CASH AND BANK BALANCE:

Petty cash [Till Money]	5967.60	807.00
Balance with SBI [A/C No. 01100046973]	57030087.85	23899518.85
Balance with UBI [A/C No. 540902050000007]	5202.50	0.00
T-O-T-A-L :-	57041257.95	23900325.85

SCHEDULE - "D"

INVESTMENTS IN FDR(s):

a) Fixed Deposits in State Bank of India	#REF!	320000000.00
b) Fixed Deposits with other banks	250000000.00	250000000.00
c) Auto Sweep A/c (Union Bank of India)	4598000.00	0.00
T-O-T-A-L :-	#REF!	570000000.00

SCHEDULE - "E"

DEPOSIT & ADVANCE

a) T. D. S (A.Y 2005-06)	2177511.00	1850500.00
b) T. D. S (A.Y 2006-07)	1647055.00	0.00
c) Deposit for rent	45000.00	45000.00
d) Deposit for telephone	5000.00	5000.00
T-O-T-A-L :-	3874566.00	1900500.00

SCHEDULE - "F"

CURRENT LIABILITIES & PROVISION

a) Endowment Fund	360000000.00	570000000.00
b) Additional Fund	10000000.00	20000000.00
c) T.D.S. Payable	0.00	16065.00
d) Fees (To be deposited in Treasury office Raipur)	1392284.00	69216.00

T-O-T-A-L :- 371392284.00 590085281.00




**SCHEDULE "B" TO THE AUDITED ACCOUNTS OF CHHATTISGARH
NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF FIXED ASSETS**

PARTICULARS	RATE OF DEP.	W.D.V. AS ON 1.04.2005	ADDITIONS		TOTAL	DEPRE- CIATION UPTO 30.09.05	DEPRE- CIATION AFTER 30.09.05	TOTAL DEPRE- CIATION AS ON 31.03.2006
			UPTO 30.09.05	AFTER 30.09.05				
FURNITURE & FIXTURES	10%	144690.00	165003.00	66780.00	376473.00	30969.00	3339.00	342165.00
OFFICE EQUIPMENTS	15%	56831.00	231926.00	4475.00	293232.00	43314.00	336.00	249582.00
COMPUTERS	60%	70646.00	64228.00	0.00	134874.00	80924.00	0.00	53950.00
AIR CONDITIONER	15%	0.00	50476.00	0.00	50476.00	7571.00	0.00	42905.00
TOTAL (A to B)		272167.00	511633.00	71255.00	855055.00	162778.00	3675.00	166453.00
								688602.00



CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF ENDOWMENT FUNDS

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2006	AS ON 31.03.2005
Acharya Arya Bhatt University	20000000	20000000
Amity University	0	20000000
Ansal University of Technology	0	20000000
Aptech University	0	20000000
Asia Specific University	0	20000000
Baba Mast Nath University	20000000	20000000
BLS University	20000000	20000000
C V Raman University	10000000	10000000
Dahad Vidya Vardini University	0	10000000
Dharm Dipti University	10000000	10000000
Dr. S. G. Reddy University	0	10000000
EIILM University	0	20000000
EMPI University	10000000	10000000
G. H. Raisoni University	20000000	20000000
Gurukul University	10000000	10000000
DICFAI University	20000000	20000000
IIAS University	0	10000000
NIILM University	0	10000000
Indus Valley University	10000000	10000000
ITM University	20000000	20000000
Jaipuria University	0	10000000
Kawa Global University	20000000	20000000
Le Magnus University	20000000	20000000
Lords University	0	10000000
Luth Ran University	10000000	10000000
Mats University	30000000	20000000
Media Arts University	0	20000000
Mewar university	0	10000000
Modi International University	10000000	10000000
Net Worked University	0	10000000
NIILM University	20000000	20000000
Rai University	20000000	20000000
Rawatpura Sarkar University	20000000	20000000
Starex International University	0	20000000
Swami Vivekanand University	10000000	10000000
University of Human Transformation	10000000	10000000
University of Technology & Science	10000000	10000000
Vishwa Bharti University	10000000	10000000
Total	360000000	570000000



UTTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
DETAILS OF ADDITIONAL FUNDS

THE UNI	AS ON 31.03.2006	AS ON 31.03.2005
Lords Univ Modi Interr	0 10000000	10000000 10000000
Total	10000000	20000000



Details of FDR(S)/ TDR(S) With Other Banks

S.No.	Name of the Bank	FDR Number	Date	Amount	Rate	or the Year	Maturity Date	Interest	TDS
1	ICICI Bank	1407508	29.09.04	50000000	6.10%	3 Years	29.09.07	1561981.00	175255.00
2	Indian Overseas Bank	858239	29.09.04	100000000	5.25%	2 Years	29.09.06	264658.00	NIL
3	Union Bank Of India	382076	29.09.04	50000000	5.75%	3 Years	29.09.07	1437500.00	161288.00
4	Punjab National Bank	377162	29.09.04	20000000	5.50%	3 Years	29.09.07	553781.00	56486.00
5	Central Bank Of India	84291	29.09.04	20000000	5.50%	2 Years	29.09.06	563073.00	NIL
6	Allahabad Bank	78085	29.09.04	30000000	5.50%	3 Years	29.09.07	831781.00	NIL
7	UCO Bank	30635	29.09.04	50000000	5.75%	3 Years	29.09.07	1397603.00	146748.00
8	UTI Bank	13411	29.09.04	20000000	5.80%	3 Years	01.10.07	576882.00	NIL
		TOTAL		250000000					539777.00
									539777.00



FDR(S)/ TDR(S) with State Bank Of India

S.No	Receipt No. / TDR No.	Date	Amount	Rate	For the Years	Maturity Date
1	10038960532	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
2	10038960587	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
3	10038960598	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
4	10038960600	28.07.04	20000000	5.25%	7 Years	01.07.11
5	10038960622	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
6	10038960804	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
7	10038960826	28.07.04	100000000	5.25%	7 Years	01.07.11
TOTAL						800000000



CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISWAVIDYALA VINAYAMAK AYOG
SCHEDULES ATTACHED TO & FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST
MARCH, 2006

SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses incurred. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed. Ayog has opted for **cash system** of accounting.

2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

4. DEPRECIATION:

Ayog has provided for depreciation during the year in the books of accounts. The rate of depreciation provided corresponds to rates prescribed in Income Tax Act.

5. TAXATION:

No provision for current taxation and/or deferred tax has been made as the income of institution is exempt from Income Tax.

6. GRANT:

Grant received from the Government has been treated as capital receipt.

B. NOTES TO ACCOUNTS :

- (i) Section 4 and 5 of THE CHHATTISGARH NIJI KSHETRA VISHWAVIDYALA (STHAPANA AUR VINIYAMAM) ADHINIYAM, 2002 has been declared void by SUPREME COURT with effect from 11.02.05, however it is felt that it is not in any way affecting the going concern assumption.
- (ii) Figures of the previous year have been rearranged/regrouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (iii) Contingent Liabilities:- The liability of Rs.15655908/- towards interest due on endowment fund and interest of Rs.495833.00 towards additional fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.
- (iv) The Ayog has not passed any entry in its books of accounts towards TDS of Rs.814340/- and for interest of Rs.11521082 /- as the interest and TDS have not been actually paid to the Ayog.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

P.C. Upadhyay
01/10/07

Manuwar

Shikha Chaudhary
1.2.07



[SHIKHA CHAUDHARY]
PARTNER
M.NO. 402188

PLACE : RAIPUR
DATE : 19/10/2006